उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-25/2016/969 /37-1-2016-2(14)/2015

लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, निम्नलिखित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को स्वनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ जनपद	ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा0 मोहन वीर मलिक, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,धामपुर, बिजनौर		उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शामली जनपद शामली
2	डा0 अनिल कुमार द्वितीय, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बांसी, सिद्धार्थनगर		उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, धामपुर, बिजनौर
3	डा0 विनोद कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, बागपत		उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, मेरठ
4	डा0 मीनाक्षी साठे, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, मैनपुरी		उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, आगरा
5	डा0 पुरूषोत्तम दास, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कसया, कुशीनगर		उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, मुरादाबाद
6	डा0 दिवाकर त्रिपाठी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मड़ियाहूं, जौनपुर		उप निदेशक, गायनो0, इलाहाबाद
7	डा0 सुधीर कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद		उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन विकास, अलीगढ़

2- सम्बन्धित अधिकारी आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 25/2016/969 /37-1-2016-2(14)/2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2) द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।